न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, R.A.S.

प्रकरण संख्या 181/2016 निर्णय दिनांक : 11–2–2017

श्री मती कान्ता पत्नि राकेश जी शर्मा जाति ब्राम्हण आयु वयस्क निवासी छोटीसादडी, तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— वादीयाया

–: ब ना म :–

1– श्री मान् जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)

2– श्री मान् तहसीलदार साहब, छोटीसादडी (राज.)

3– श्रीमती निर्मला पत्नि राजेन्द्र जी शर्मा जाति ब्राम्हण आयु वयस्क निवासी छोटीसादडी, तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

—: नि र्ण य :—

वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीया के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नं. 524 रकबा 0.22 हैक्टर मौजा छोटीसादडी में स्थित हैं। मौजा छोटीसादडी में ही वादीया की आराजी के पास प्रतिवादी सं. 3 की आराजी नं. 525 रकबा 0.21 हैक्टर स्थित हैं। वादीया व प्रतिवादी सं. 3 की उपरोक्त दोनो आराजी नम्बर 524 व 525 के पुराने नम्बर 612 रकबा 2 बीघा थे। पुराने आराजी नं. 612 पुराने नक्षा ट्रेस में एक था यानी एक ही जगह एक चक था। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीया की सहमती व जानकारी के बीना पुराने नम्बर को नवीन नक्षा ट्रेस में उतर–दक्षिण दो भागो में विभक्त कर दिया। जो गलत हैं प्रति.सं. 1 व 2 को एसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। जबकी पुराने नं. 612 के नये नम्बर 524 व 525 पर आज भी वादीया व प्रति.सं. 3 पुराने कब्जे अनुसार पुर्व–पश्चिम काबीज होकर काश्त करती चली आ रही है। इसलिये नये नक्षा ट्रेस को तरमीम कर आ. सं. 524 व 525 को वादीया व प्रति. सं. 3 पुर्व कब्जे के अनुसार पुर्व–पश्चिम दर्शाया जावे। वादीया व प्रति. सं. 3 आज भी मौके पर पुर्व–पश्चिम काबीज होकर काश्त करती चली आ रही है।

वादीया ने वाद में यह भी अंकित किया की उसने प्रति. सं. 1 व 2 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटीस भी दिया परन्तु नवीन नक्षे में कोई तरमीम नहीं किया गया। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा वादीया की सहमती व जानकारी के बीना नवीन नक्षे में आराजी सं. 524 व 525 को उतर–दक्षिण दो भागो में विभक्त कर दिया हैं को वादीया पुनः नवीन नक्षे में वादीया व प्रतिवादी सं. 3 के कब्जे अनुसार पुर्व–पश्चिम तरमीम कराने की अधिकारी हैं।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 2–2–2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीया हेतु नियत की गई। परन्तु दिनांक 20–4–2016 को वकील वादीया व वादीया के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वाद अदत हजरी अदम पैरवी में खरीज किया गया।

तत्पश्चात वादीया ने वाद को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश किया जिस पर वादीया को सुन कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने का आदेश प्रदान किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीया हेतु नियत की गई। साक्ष्य वादीया में वादीया ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश कर अपने बयान न्यायालय के समक्ष लेख बद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श–1 लगावत प्रदर्श– 7 के रूप में प्रदर्शीत करवा कर साक्ष्य वादी में अन्य कोई गवाहान पेश करना नहीं चाहने पर साक्ष्य वादीया बन्द की गई। वकील वादीया की ओर से एक तरफा बहस अन्तीम सुनी जाकर पत्रावली का भली भाती अवलोकन कर

पुराने आराजी नं. 612 रकबा वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीया के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नं. 524 रकबा 0.22 हैक्टर मौजा छोटीसादडी में स्थित हैं। मौजा छोटीसादडी में ही वादीया की आराजी के पास प्रतिवादी सं. 3 की आराजी नं. 525 रकबा 0.21 हैक्टर स्थित हैं। वादीया व प्रतिवादी सं. 3 की उपरोक्त दोनो आराजी नम्बर 524 व 525 के पुराने नम्बर 612 रकबा 2 बीघा थे। पुराने आराजी नं. 612 पुराने नक्शा ट्रेस में एक था यानी एक ही जगह एक चक था। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीया की सहमती व जानकारी के बीना पुराने नम्बर को नवीन नक्शा ट्रेस में उतर–दक्षिण दो भागो में विभाजित कर दिया। जो गलत हैं प्रति.सं. 1 व 2 को एसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। जबकी पुराने नं. 612 के नये नम्बर 524 व 525 पर आज भी वादीया व प्रतिवादी सं. 3 पुराने कब्जे अनुसार पुर्व–पश्चिम काबीज होकर काश्त करती चली आ रही है। इसलिये नये नक्शा ट्रेस को तरमीम कर आराजी सं. 524 व 525 को वादीया व प्रतिवादी सं. 3 पुर्व कब्जे के अनुसार पुर्व से पश्चिम दर्शाया जावे। वादीया व प्रतिवादी सं. 3 आज भी मौके पर पुर्व–पश्चिम काबीज होकर काश्त करती चली आ रही है।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 तक की से यह स्पष्ट हैं कि मौजा छोटीसादडी में पुराने आराजी नम्बर की आराजी सं. 612 स्थित हैं, जिसका रकबा प्रदर्श –4 के अनुसार २)२ दो बीघा दो बिस्वा हैं। यह प्रदर्श–2 से यह भी स्पष्ट साबीत हैं कि पुराने आराजी नम्बर 612 के नये आराजी नम्बर 524 रकबा 0.22 हैक्टर व 525 रकबा 0.21 हैक्टर बने है। आराजी नम्बर 612 पुराने नक्शे में एक थे यानी एक चक था। परन्तु नये नक्शा ट्रेस मे वादीया की जानकारी के बीना व वादीया की सहमती के बीना साबीक आराजी नं. 612 को उतर–दक्षिण दो भागो में विभाजीत कर नये नम्बर 524 व 525 को उतर दक्षिण दर्शा दिया है, जो गलत हैं। वादीया व प्रतिवादी सं. 3 साबीक आराजी सं. 612 पर पहले भी पुर्व–पश्चिम काबीज होकर काश्त कर रही थी, व आज भी नये नम्बर 524 व 525 पर पुर्व–पश्चिम काबीज होकर काश्त करती चली आ रही है।

वादीया ने अपने शपथ पत्र में भी यही कथन अंकित कर शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया हैं तथा शपथ पत्र में अंकित तथ्यो का न्यायालय के समक्ष सही होना स्वीकार किया हैं। वादीया के शपथ पत्र में अंकित तथ्यो के खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई शपथ पत्र, या मोखीक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई हैं। जिससे वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डीत रही हैं, तथा पत्रावली पर ऐसा कोई कारण मोजुद नहीं हैं जिससे वादीया की साक्ष्य पर या वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर विश्वास नहीं किया जा सके। इसके अलावा नये नम्बर 524 व 525 पुराना नं. 612 से बने हैं ऐसी स्थिती में पराने नम्बर 612 मौके पर निश्चीत रूप से एक चक रहा होगा। तथा इस पुराने नम्बर के पुर्व–पश्चिम दो हिस्सो पर एक पर वादीया व दुसरे पर प्रतिवादी सं. 3 काबीज होकर काश्त कर रही थी। ओर वादीया के कथना अनुसार आज भी वह (वादीया) व प्रतिवादी सं. 3 अपने पुराने कब्जे के अनुसार ही पुर्व पश्चिम काबीज चली आकर काश्त कर रही है। ऐसी स्थिती तें वादीया व प्रतिवादी सं. 3 के पुराने कब्जे के साथ छेड छाड कर उन्हे डिस्टर्ब किया जाना उचित प्रतित नहीं होता हैं। तथा आराजी नं. 612 के दो हिस्से उतर दक्षिण कर यानी नये आराजी सं. 524 व 525 को उतर दक्षिण बताने का कोई तुक नही है। इसलिये वादीया अपना वाद साबीत करने में पुर्ण रूप से सफल रही है। तथा वादीया पुराने नक्शे में पुराने कब्जे के अनुसार नये नक्शा ट्रेस में तरमीम कराने की अधिकारी है।

परिणाम स्वरूप वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 को यह आदेश प्रदान किया जाता हैं कि प्रतिवादी 2 हल्के के पटवारी को तहरीर जारी कर वादीया व प्रतिवादी सं. 3 के नये नम्बर 524 व 525 को नये नक्शा ट्रेस में उतर–दक्षिण रूप में विभाजित कर दर्शाया गया को हटाया जाकर नये नक्शा ट्रेस में नये आराजी नं. 524 रकबा 0.22 हैक्टर को व आ.सं. 525 रकबा 0.21 हैक्टर को पुराने नक्शे अनुसार व वादीया व प्रतिवादी सं. 3 के पुराने कब्जे के अनुसार पुर्व–पश्चिम रूप में तरमीम किया जाकर नये नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस न्यायालय को प्रेषित करे। उरोक्त अनुसार डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 – 9 – 2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।